मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
करण संख्या :– 92 / 2024
ाद पत्र अं. धारा 88 / 53 आर.टी.ए. व 136 एलआरएक्ट

जसकौर सिह पुत्र जगनन्दन सिह जाति जटसिख सा.लीलावाली तहसील संगरिया वादी

बनाम

1. अजायब सिह पुत्र करतार सिह जाति जटसिख साकिन लीलवाली तहसील संगरिया।
2. मांगीलाल पुत्र ख्यालीराम पुत्र भोमराम जाति जाट सा.लीलावाली तहसील संगरिया।
3. बख्तावरीदेवी पुत्री गोरा जाति जाट सा.लीलावाली तहसील संगरिया।
4. विक्रम सिह पुत्र जगर सिह पुत्र बिशन सिह जाति जटथ्सख सा.लीलावाली तहसील संगरिया।
5. नक्षत्र सिह पुत्र जगर सिह पुत्र बिशन सिह जाति जटथ्सख सा.लीलावाली तहसील संगरिया।
6. नायब सिह पुत्र करतार सिह जाति जटसिख सा.लीलावाली तहसील संगरिया।
7. राजवीर दतक पुत्र अंग्रेज सिह जाति जटसिख सा. लीलावाली तहसील संगरिया।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :– 6.10.2025

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री.....वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:– चक 4 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 3 / 20 में जसकौर सिह पुत्र जगनन्दन सिह जाति जटसिख साकिन लीलावाली की कब्जा काश्त भूमि :– पत्थर नम्बर 148 / 211 मु.न. 7 किला नम्बर 1,2,3 / 0.759 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री / भू.अ. / 2024 / 3106 दिनांक 29.07.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.10.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया